



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र.

1520

दिनांक 22/6/23

क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/अका-1/2023-24

// आदेश //

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 175 वीं सभा की बैठक दिनांक 30/05/2022 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में सत्य साई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, रीहोर के मुख्य परिसर में स्थित शैक्षणिक विभागों के अंतर्गत पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों को तालिका में दर्शित पाठ्यक्रमों को उनके नाम के सम्मुख सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्रं.	विभाग का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	अध्यादेश क्रमांक	प्रस्तावित छात्र संख्या
1-	School of Paramedical	MMLT (HAEMO)	69	05
		M.P.T. (ORTHO)	70	05
		Bachelor of Physiotherapy	58	50
		Medical lab Technician	62	50
		Diploma in Medical lab Technician	55	50
		Diploma in X-Ray (Radiographer) Technician,	55	50
		D. Pharma (Ayurved)	55	50
		D. Pharma (Homeopathy)	55	50
		Diploma in Dialysis Technician	55	50
		Diploma in Human Nutrition	55	50
		Diploma In Blood Transfusion	55	50
		Diploma in Yoga	55	50
		Paramedical Ophthalmic Assistant	55	50
2.	School of Low	L.L.B.	19	120
3.	Polytechnic (Engineering)	Electrical Engineering	49	60
		Diploma Engineering (Civil Engineering)	49	60
		Diploma Engineering (Mechanical Engineering)	49	60
		Diploma Engineering (Chemical Engineering)	49	60
		Diploma Engineering (Computer Science and Engineering)	49	60
4	School of Homoeopathy	B.H.M.S.	48	100
5	School of Education	B.A. B.Ed.	65	100
6	School of Agriculture	B.Sc. (Hones) Agriculture	59	120

[Signature]

निरंतर.....2

7	School of Design	B. Design	13	60
		B. Arch	13	40
8	School of Nursing	B. Sc Nursing	50	80
		Post Basic Nursing	50	30

शर्त :-

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबन्धित परिषदों के मापदण्डों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबन्धित परिषदों के मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषदों की गाईडलाइन के अनुसार दिये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग संस्था/एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)



(डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव)
सदस्य अकादमिक

म०प्र०नि०वि०वि०आयोग, भोपाल
दिनांक /06/2023

पृष्ठांकन...../ म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/अका-1/2023-24
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल।
2. कुलसचिव, सत्य साई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

सदस्य अकादमिक
म०प्र०नि०वि०वि०आयोग, भोपाल